89

दिनांक-20.06.2017 को अपराह्न 12.30 बजे मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक की कार्यवाही:-

बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के प्रावधान 2.4(ए) के तहत् गठित राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष प्राप्त आवेदनों के संबंध में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक दिनांक-20.06.2017 का सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारियों ने भाग लिया:-

1. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
2. प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग।
3. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग
4. प्रधान सचिव, कृषि विभाग।
5. प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग।
6. प्रधान सचिव, निगरानी विभाग।
7. प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग।
8. सचिव, वित्त विभाग।
9. सचिव, विधि विभाग।
10. अपर सचिव, जल संसाधन विभाग
11. अपर सचिव, गृह विभाग।
12. विशेष सचिव, विधि विभाग।
13. विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग।
14. संयुक्त निदेशक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

सचिव-सह-विधि परामर्शी द्वारा समिति को सूचित किया गया कि विभिन्न विभागों के कर्मियों द्वारा इस समिति के विचारार्थ कुल 9 आवेदन प्राप्त हुए है। उन अभ्यावेदनों की विवरणी एवं इस संबंध में समिति द्वारा लिये गये निर्णय की विवरणी निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	आवेदक की विवरणी एवं पक्ष	संबंधित विभाग का पक्ष
1	* श्री दिनेश कुमार पाठक, से0नि0 अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, अररिया। * आवेदक के अनुसार कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक-1781(सचिव) दिनांक-28.05.2005 के द्वारा उन्हें प्रथम वित्तिय उन्नयन का लाभ दिया गया है एवं द्वितीय वित्तिय उन्नयन का लाभ अब तक प्रदान नहीं किया गया है। आवेदक के अनुसार दिनांक-19.02.1993 के प्रभाव से उन्हें प्रथम वित्तिय उन्नयन एवं दिनांक-19.02.2003 के प्रभाव से द्वितीय वित्तिय उन्नयन का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए।	* बैठक में प्रधान सचिव, कृषि विभाग द्वारा आवेदक को द्वितीय वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाने के संबंध में कार्रवाई करने हेतु दस दिनों के समय की मांग की गयी। **इस संदर्भ में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा कृषि विभाग को निदेश दिया गया कि वे 15 दिनों के अन्दर संबंधित मामले को निष्पादित करें। तद्नुसार अभ्यावेदन निष्पादित।**

(88

2	* श्री ललन राय, से0नि0 मापक विशेष भू अर्जन कार्यालय, गंडक योजना मुजफ्फरपुर। * आवेदक द्वारा निदेशक भूअर्जन एवं पूर्नवास जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के हस्ताक्षर से निर्गत पत्र सं0-क0आ0स0-16/विविध-09-03/2016-124 दिनांक-08.09.2016 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। उक्त पत्र के माध्यम से आवेदक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई का प्रस्ताव दिया गया है। आवेदक के अनुसार उनके विरुद्ध संस्थित विभागीय कार्रवाई बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43 का उल्लंघन है।	* बैठक में आवेदक के मामले में समीक्षा के क्रम में पाया गया कि आवेदक के द्वारा अभिलेख सं0-04/2008-09 से संबंधित भूमि की मापी दिनांक-08.02.2008 को की गयी थी। उक्त भूमि के गलत मापी किए जाने के आरोप में आवेदक के विरुद्ध दिनांक-08.09.2016 से विभागीय कार्रवाई चलाई गयी है। आवेदक 31.01. 2014 के प्रभाव से सेवानिवृत्त हो चुके है। बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(b) के अनुसार कोई भी विभागीय कार्रवाई संबंधित कर्मी के सेवानिवृत्ति के पहले या पुन: नियोजन के दौरान या घटना के चार वर्ष के भीतर आरंभ होनी चाहिए। घटना के चार वर्ष के बाद संबंधित कर्मी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई आरंभ नहीं किया जा सकता है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आवेदक के विरुद्ध आरोपित घटना के आठ वर्ष से अधिक समयावधि व्यतीत हो जाने के पश्चात विभागीय कार्रवाई आरंभ की गयी है, जो बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(b) का उल्लंघन है। **उक्त समीक्षा के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से आवेदक के विरुद्ध संस्थित विभागीय कार्रवाई को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार आवेदन निष्पादित।**
3	* श्री सुरेन्द्र सिंह, संकलक (प्रकाशन प्रशाखा) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, पटना। * सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-11739/1997 (सुरेन्द्र सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-05.02.2015 को पारित आदेश की कंडिका-20 के अनुपालन हेतु आवेदक द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।	* प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग के द्वारा समिति को आशवासन दिया गया कि संबंधित मामले में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है तथा 15 दिनों के अन्दर कार्रवाई कर दी जायेगी। **मुख्य सचिव, बिहार द्वारा उक्त मामलें में 15 दिनों के अन्दर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित**

		विभाग को दिया गया। तद्नुसार अभ्यावेदन निष्पादित।
4	* श्री कालिका पाण्डेय, से0नि0 अंचल निरीक्षक, कटिहार। * आवेदक के अनुसार वरीय प्रवर कोटि का लाभ प्रदान करने हेतु आवेदक के द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को दिनांक-06.08.2014 को आवेदन समर्पित किया गया। दो वर्ष से अधिक का समय व्यतित होने के बाद भी अब तक उनके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।	* राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा समिति को बताया गया कि आवेदक के द्वारा किया गया दावा विभाग से संबंधित नहीं है। बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 के प्रवृत्त होने से पूर्व अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो का संवर्ग राज्य स्तरीय संवर्ग नहीं था, बल्कि प्रमंडल स्तर संवर्ग था तथा इस संवर्ग से संबंधित निर्णय लेने हेतु संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त ही सक्षम थे। इस संबंध में प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल को आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र लिखा गया है। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा संबंधित विभाग को निर्देश दिया गया कि उक्त मामले में कार्रवाई विभाग की जिम्मेदारी है। अतः 15 दिनों के अन्दर संबंधित मामले में कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय। तद्नुसार अभ्यावेदन निष्पादित।
5	* श्री सुनील कुमार, तत्कालीन उप सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना सम्प्रति निलंबित मुख्यालय जन शिक्षा निदेशालय, बिहार। * आवेदक निगरानी थाना काण्ड सं0-40/2015 मामले में दिनांक-21.05.2015 से निलंबित है। आवेदक द्वारा उन्हें निलंबन से मुक्त करने हेतु CWJC No.-20262/2014 (ब्रजेश कुमार मिश्र बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) मामले में उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-02.07.2015 को पारित न्यायादेश एवं CWJC No.-11406/2016 (श्री सुनील कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) मामले में दिनांक-02.08.2016 को पारित आदेश को उनके मामले के समरूप मानते हुए निलंबन से मुक्त करने का अनुरोध किया	* प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के द्वारा समिति को बताया गया कि आवेदक श्री सुनील कुमार द्वारा CWJC No.-20262/2014 ब्रजेश कुमार मिश्र बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-02.07.2015 को पारित आदेश के अनुपालन में कृषि विभाग द्वारा श्री मिश्र को निलंबित किये जाने का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए एवं CWJC No.-11406/2016 श्री सुनिल कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-02.08.2016

	गया है।	को पारित आदेश को स्वयं के मामले के समरूप बताकर निलंबन से मुक्त करने हेतु बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के तहत् आवेदन समर्पित किया गया है। इस संबंध में प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के द्वारा समिति को बताया गया कि उक्त दोनों मामले आवेदक के मामले से भिन्न है। अत: उक्त न्यायादेशों का अनुपालन आवेदक के मामले में किया जाना न्यायोचित नहीं है। **समिति द्वारा सर्वसम्मति से शिक्षा विभाग के तथ्यों पर सहमति प्रकट करते हुए आवेदक के दावे को अस्वीकृत किया गया। तद्नुसार अभ्यावेदन निष्पादित।**
6	* श्री दिव्य प्रकाश, पिता स्व0 हरि प्रसाद सिंह, भूतपुर्व प्रयोगशाला पदाधिकारी, जीवविज्ञान कमला राय महाविद्यालय, गोपालगंज, बिहार। * आवेदक द्वारा उनके पिता के मृत्यु के पश्चात अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु कुलपति जय प्रकाश विश्वविद्यालय के समक्ष दिनांक-30.11.16 एवं 20.02.16 को अभ्यावेदन समर्पित किया, परन्तु अब तक उक्त अभ्यावेदनों पर आवेदक के अनुसार कार्रवाई नहीं की गयी है।	* प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के द्वारा बैठक को बताया गया कि यह मामला जय प्रकाश विश्वविद्यालय से संबंधित है जिनसे इस संबंध में कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया है। **मुख्य सचिव, बिहार द्वारा शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया कि वे संबंधित विश्वविद्यालय से संपर्क कर इस मामले में 15 दिनों में कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। तद्नुसार अभ्यावेदन निष्पादित।**
7	* श्री महाशंकर मिश्र, से0नि0 विशेष सचिव, गृह विशेष विभाग, बिहार। * आवेदक दिनांक-31.12.2015 को विशेष सचिव, गृह विशेष विभाग, बिहार के पद से सेवा निवृत हुए है। आवेदक के अनुसार भ0नि0 निदेशालय के पत्रांक-253 दिनांक-10.02.2016 द्वारा उनके भ0नि0 लेखा सं0-BHR/BAS-3206 में संचित राशि का माह जनवरी, 2016 तक सूद की गणना कर प्राधिकार पत्र निर्गत किया गया। इस प्राधिकार पत्र कं अनुसार उन्हें 23,68,752/- रुपये प्राप्त होना था।	* आवेदक के दावे के संबंध में गृह विभाग (विशेष शाखा) द्वारा निदेशक भविष्य निधि निदेशालय वित्त विभाग, पंत भवन, पटना को पत्र लिखते हुए आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। **मुख्य सचिव, बिहार द्वारा इस संबंध में भविष्य निधि निदेशालय को निर्देश दिया गया कि वे संबंधित मामले की समीक्षा कर गृह विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करे। गृह विभाग भविष्य**

	यह राशि आवेदक को दिनांक-10.03.2016 को उनके खाते में प्राप्त हुई। आवेदक के अनुसार उक्त राशि 40 दिनों के बाद उन्हें प्राप्त हुआ। इस प्रकार भ0नि0 में संचित राशि पर भ0नि0 निदेशालय को सूद प्राप्त होता रहा जो उनके अनुसार 22,700/- रुपये होता है। उक्त राशि के भुगतान हेतु आवेदक द्वारा यह अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।	**निधि निदेशालय के रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करे। तद्नुसार अभ्यावेदन निष्पादित।**
8	* **श्री अवध किशोर**, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, अरवल। * आवेदक के अनुसार विभागीय प्रोन्नति समिति आयोग सहित की दिनांक-22.09.16 को आहुत बैठक में आवेदक को अधीक्षण अभियंता (असैनिक) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने की अनुशंसा की गयी है। उनकी वरीयता क्रमांक-251 है और उनके अनुसार अबतक वरीयता क्रमांक-392 तक प्रोन्नति दे दी गयी है। परन्तु उक्त विभागीय प्रोन्नति समिति (आयोग सहित) की अनुशंसा के बाद भी अब तक उन्हें प्रोन्नति प्रदान नहीं की गयी है। इस संबंध में आवेदक के द्वारा प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग के समक्ष अभ्यावेदन समर्पित किया गया है, जिस पर आवेदक के अनुसार कार्रवाई अबतक लंबित है।	* प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग के द्वारा बैठक को बताया गया कि श्री किशोर, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के संबंध में माननीय विभागीय मंत्री द्वारा दिनांक-08.09.2016 को उनके विरुद्ध लिखित चेतावनी देने, जो सेवा पुस्त में संधारित की जायेगी, का आदेश दिया गया। उक्त दण्ड प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन हेतु संचिका दिनांक -19.09.2016 को मुख्य सचिव महोदय को पृष्ठांकित की गयी। इसी दौरान दिनांक-22.09.2016 को बिहार लोक सेवा आयोग में आहूत विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में श्री अवध किशोर को अधीक्षण अभियंता के पद पर प्रोन्नति देने के मामले पर विचार किया गया। समिति/आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में प्रोन्नति हेतु अधिसूचना निर्गत करने की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी। इसी बीच उक्त दण्ड प्रस्ताव पर दिनांक-24.09.2016 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये अनुमोदन के साथ दिनांक-26.09.2016 को संचिका विभाग में प्राप्त हुई। तदनुसार विभागीय अधिसूचना संख्या-9981(भ0) दिनांक-07.10.2016 द्वारा श्री अवध किशोर के विरुद्ध लिखित चेतावनी का दण्ड संसूचित किया गया। जिसमें यह निदेश अंकित है कि यह दण्ड उनके सेवा

		पुस्त में संधारित होगा। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 14 स्पष्टीकरण-03 में यह प्रावधान अंकित है कि अगर किसी सरकारी सेवक को दण्ड के लिए विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए (यानि सफाई देने का अवसर देकर उनके स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए) ''चेतावनी'' दी जाती है और जिसकी प्रविष्ठि चरित्रपुस्त में की जाती है तो उसका कुप्रभाव सरकारी सेवक की समपुष्टि तथा प्रोन्नति में अगले एक वर्ष तक पड़ेगा। इस स्थिति में आवेदक की प्रोन्नति सितम्बर, 2017 में विचारणीय है। आवेदक के अन्य तर्क, जिसमें श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल अररिया को प्रोन्नति प्रदान किये जाने पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है; के संबंध में भवन निर्माण विभाग का कहना है कि श्री सिंह को दी गयी चेतावनी की प्रविष्ठि सेवापुस्त/चरित्रपुस्त में करने का उल्लेख नहीं है। इस स्थिति में विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा उन्हें प्रोन्नति के योग्य माना गया। **समिति द्वारा सर्वसम्मति से भवन निर्माण विभाग के तथ्यों पर सहमति प्रकट करते हुए एवं आवेदक को सितम्बर, 2017 में देय प्रोन्नति पर विचार किए जाने की बात से संतुष्ट होकर आवेदक के अभ्यावेदन को निष्पादित किया गया।**
9	* श्री लक्षमण राम, से0नि0 स्वीपर, सारण, बिहार * आवेदक के अनुसार वित्त विभागीय संकल्प सं0-3972 दिनांक-12.05.16 एवं संकल्प सं0-7577 दिनांक-23.09.16 के माध्यम से चतुर्थ वर्गीय	* प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समिति को आशवासन दिया गया है कि संबंधित मामले को 15 दिनों के अन्दर निष्पादित कर दिया जाएगा।

	कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन किया गया है। उक्त के आधार पर आवेदक द्वारा उनके वेतनमान में संशोधन करने तद्नुसार अनुषंगिक लाभ का भुगतान करने हेतु प्रभारी पदाधिकारी, प्राथमिकी स्वास्थ्य केन्द्र, परसा, जिला-सारण के समक्ष दिनांक-09.01.2017 एवं 23.01.2017 को आवेदन समर्पित किया गया। आवेदक के अनुसार उक्त पत्रों पर अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। तद्नुसार आवेदक के द्वारा राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष आवेदन समर्पित किया गया है।	उक्त के आलोक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा स्वास्थ्य विभाग को 15 दिनों के अन्दर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। तद्नुसार अभ्यावेदन निष्पादित।

6/2/17

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार।

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग।

प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग/स्वास्थ्य विभाग।

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग।

प्रधान सचिव,
योजना एवं विकास विभाग।

प्रधान सचिव,
निगरानी विभाग।

प्रधान सचिव,
भवन निर्माण विभाग

सचिव,
वित्त विभाग

सचिव,
विधि विभाग।

अपर सचिव,
जल संसाधन विभाग।

अपर सचिव,
गृह विभाग।

विशेष सचिव,
विधि विभाग।

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

संयुक्त निदेशक,
राजस्व एवं भूमि
सुधार विभाग।

बिहार सरकार
विधि विभाग

ज्ञापांक-लि0से0बि0रा0मु0नी0-06/2016/...3910...जे0 पटना, दिनांक-...14-07-17...

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रधान सचिव, कृषि विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/ प्रधान सचिव, निगरानी विभाग/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/सचिव, वित्त विभाग/अपर सचिव, जल संसाधन विभाग/अपर सचिव, गृह विभाग/विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/

संयुक्त निदेशक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन के संबंध में विभागीय स्तर पर कृत कार्रवाई से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराने की कृपा की जाय।

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-लि0से0बि0रा0मु0नी0-06/2016/3910 जे0 पटना, दिनांक-14-07-17

प्रतिलिपि:- श्री दिनेश कुमार पाठक, स0नि0 अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी, अररिया, सम्प्रति-ग्राम- नया टोला, डाकघर-छपरा सदर, जिला-सारण (बिहार)/श्री ललन राय, सेवानिवृत्त मापक, विशेष भू-अर्जन कार्यालय, गंडक योजना, मुजफ्फरपुर, सम्प्रति गाँव- समसुद्दीनपुर, थाना+डाकघर-रिविलगंज, जिला-सारण (बिहार)/श्री सुरेन्द्र सिंह, संकलक, प्रकाशन प्रशाखा, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना। श्री कलिका पाण्डेय, सेवानिवृत्त अंचल निरीक्षक, कटिहार पता- टी0वी0 टावर के निकट, मिरचाई बाड़ी, कटिहार, बिहार-854105/ श्री सुनील कुमार, तत्कालीन उप सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना, सम्प्रति निलंबित मुख्यालय जन शिक्षा निदेशालय, बिहार, पटना/ श्री दिव्य प्रकाश, आत्मज स्वर्गीय हरि प्रकाश सिंह, ग्राम-चैनपट्टी, पो0-गोपालगंज, जिला-गोपालगंज/ श्री महाशंकर मिश्र, सेवानिवृत्त विशेष सचिव, गृह (विशेष) विभाग, रामनगरी, सेक्टर-4, आशियाना नगर, बिहार, पटना/श्री अवध किशोर, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, अरवल, बिहार/ श्री लक्ष्मण राम, सेवानिवृत्त स्वीपर, सम्प्रति ग्राम-खुटकरवाँ, पो0-खररहियाँ, थाना-एकमा, जिला-सारण को सूचनार्थ प्रेषित।

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-लि0से0बि0रा0मु0नी0-06/2016/3910 जे0 पटना, दिनांक-14-07-17

प्रतिलिपि:- आई0 टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)
सरकार के सचिव, बिहार।